


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-16.01./2026


संख्या-12/निजी-70280/2023 सा0प्र0-1301./श्रीमती कुमारी ज्योति, बि0प्र0से0 (को0क्र0-822/24), अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णिया को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना सं0-640/वि0, दिनांक-19.01.15 की कंडिका-2 के आलोक में दिनांक-02.01.2026 से दिनांक-30.06.2026 तक कुल-180 दिनों का मातृत्व अवकाश (द्वितीय संतान) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70280/2023 सा0प्र0-1301./पटना, दिनांक-16.01./2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती कुमारी ज्योति, बि0प्र0से0 (को0क्र0-822/24), अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णिया/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।